भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2109

12 दिसम्बर, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

पारंपरिक चिकित्सा और स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली संबंधी सहयोग

2109. श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:
श्री चव्हाण रविन्द्र वसंतराव:
श्री सुधीर गुप्ता:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और जर्मनी, बर्लिन में आयोजित संयुक्त कार्य समूह की तीसरी बैठक के दौरान पारंपरिक चिकित्सा और वैकल्पिक स्वास्थ्य परिचर्या प्रणालियों के संबंध में परस्पर सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त बैठक में दोनों देशों के बीच विशेषकर आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी के क्षेत्र में सहयोग के जिन प्रमुख क्षेत्रों पर चर्चा हुई या जिन्हें अंतिम रूप दिया गया, उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त बैठक में साक्ष्य आधारित पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए दोनों देशों के बीच किन्हीं समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं अथवा संयुक्त अनुसंधान पहल का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा दोनों देशों के बीच विनियामक ढांचे को सुदृढ़ करने और इस क्षेत्र के विशेषज्ञों के आदान-प्रदान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

<u>उत्तर</u>

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (घ): आयुष मंत्रालय (भारत) और फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ (जर्मनी) के बीच 18 से 20 नवंबर, 2025 तक बर्लिन में वैकल्पिक चिकित्सा पर तीसरी संयुक्त कार्य समूह की बैठक की गई।

कार्यसूची तीन मुख्य स्तंभों पर केंद्रित थी:

- स्वास्थ्य पद्धति में पारंपरिक चिकित्सा का एकीकरण।
- पारंपरिक और एकीकृत उपचारों के लिए प्रतिपूर्ति प्रक्रिया।
- पारंपरिक चिकित्सा के लिए नियामक अनुमोदन ढांचा।

संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) ने बैठक के दौरान संयुक्त अनुसंधान सहयोग को आगे बढ़ाने, आयुष पारंपरिक चिकित्सा उपचारों के लिए प्रतिपूर्ति प्रक्रिया का पता लगाने और आयुष पारंपरिक चिकित्सा उत्पादों के निर्यात में नियामक सहयोग को आगे बढ़ाने के साथ-साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।

जेडब्ल्यूजी ने भारत के नियामक ढांचे, अनुसंधान पहलों और नैदानिक देखभाल नेटवर्क पर प्रकाश डालते हुए स्वास्थ्य पद्धतियों में आयुष के एकीकरण पर भी चर्चा की। इसमें साक्ष्य-आधारित अभ्यास दिशानिर्देशों को विकसित करने और आयुष पद्धति में स्थिरता और आर्थिक व्यवहार्यता को बढ़ावा देने के लिए मौलिक अनुसंधान, बहु-देशीय परीक्षणों और वैश्विक ज्ञान साझाकरण में सहयोग के अवसरों पर जोर दिया गया।

दोनों पक्षों ने आयुष मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान और चेराइट यूनिवर्सिटेट्समेडिज़िन, बर्लिन के बीच आयुर्वेद में अकादमिक और अनुसंधान सहयोग पर संस्थान स्तर के समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने पर सहमति व्यक्त की।

*****